कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित ।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा निरक्षण विधि के अनुसार नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों में हस्ताक्षर करवाये है। किसी प्रकार की जांच मौके पर आवेदक द्वारा नहीं की गई है। उक्त कार्यवाही पूर्ण रूपने फर्जी है, साथ ही अभियुक्त ने दोष मुक्त कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1615/एक्ट/2020/1651 दिनांक 07.11.2020 के के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एव एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
05/21	एफएसएस एक्ट, 2006	15/03/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री हरिप्रसाद मंगल उम्र लगभग 35 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक)–फर्म–चौधरी ऑयल एण्ड फलोर मील, मेन रोड, माली मौहल्ला पिपलाई ,तहसील बामनवास निवासी चौधरी की बगीची ,ग्राम पोस्ट पिपलाई ,तहसील बामनवास।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 31.10.2020 को लगभग 03:30 पी.एम. पर बद्रीनारायण मीना, उपखण्ड अधिकारी बामनवास व जितेन्द्र सचदेवा, बाटमाप निरीक्षक सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुचाँ। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री हरिप्रसाद मंगल उम्र लगभग 35 वर्ष जाति महाजन बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। दिनेश कुमार मंगल अपनी तेल मील पर सरसों तेल का निर्माण कर आमजन को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु सरसों तेल (खुला) एक प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 180 लीटर रखा हुआ था। पलस्टिक के ड्रम में रखे हुए सरसों के तेल खुला का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता दिनेश कुमार मंगल से उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा प्लास्टिक ड्रम मे रखे हुए सरसों का तेल (खुला) में से 2 लीटर शुद्धता की जांच की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 245/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोटल एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियों एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 01.011.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो पैकिट भाग गय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग गय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/1867 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1615/एक्ट/2020/1651 दिनांक 07.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा बारो नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (खुला) अवमानक प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1615/एक्ट/2020/1651 दिनांक 07.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी